



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /17-18 निगरानी

PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2017/4852

दशरथ पिता वरदीचन्दजी रेगर

निवासी ग्राम कराडिया महाराज तहसील जीरन

जिला नीमच

----- आवेदक

विरुद्ध

चेनसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत

निवासी ग्राम कराडिया महाराज तहसील जीरन

जिला नीमच

-----अनावेदक

श्री कोनाथ चक्रवर्ती  
कलेक्टर द्वारा कम्प उज्जैन  
में प्रस्तुत  
22/1/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 165(7) एवं धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय

माननीय महोदय

यह कि, आवेदक अधिनरथ न्यायालय कलेक्टर महोदय नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक-17/10/2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर अंदर अवधि यह निगरानी आवेदन निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत करता है :-

38



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग अ

128  
कलेक्टर निगम

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा./2017/4852....  
तहसील: .....  
जिला: ....नीमच....  
पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण : .....  
आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: .....  
कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....62/अ-21/15-16,....  
अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक : .....  
तहसील का प्रकरण क्रमांक: .....  
यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : .....  
वाद का विषय: ....निगरानी....  
अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है : ....म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
------------------	---------------------	--

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....नीमच.... । .....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...17/10/2017... के विरुद्ध ...दशरथ...।...चेनसिंह...।...कैलाशचन्द्र बंसल... के अभिभाषक द्वारा निगरानी-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...22/12/2017...है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

22-12-17

आवेदक डा. विवेकानंद शर्मा के.पी. बंसल उपर। उनके द्वारा प्रकरण शसिम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस जाया गया। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर शसिम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।

सक्षम न्याय में समित